

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 124/2017 वाद

देवीलाल गाडरी

// बनाम //

हीरालाल गाडरी व अन्य

दावा धारा 53,88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी अनुपस्थित । वकील वादी एवं वादी को तीन बार आवाज लगाई गई । अन्तिम आवाज 05:30 P.M. पर लगाई गई । उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

